

विधान परिषद् के प्रथम सत्र- 2025 हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा
पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तरालेख

- | प्रश्न | उत्तर |
|---|--|
| 23(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माननीय सभापति विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से शासन की दम्पति स्थानान्तरण नीति के कितने आरक्षी / मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण के पत्र दिनांक: 01 जून, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 की अवधि में अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) को प्राप्त हुये हैं? | दिनांक: 01 जून 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में माननीय सभापति विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से निम्नानुसार कुल 02 संदर्भ प्राप्त हुए:-
1- पत्र सं० 14530/ सभा०वि०प० दिनांक: 27.06.2024
2- पत्र सं० 15189/सभा०वि०प० दिनांक: 24.10.2024 |
| (ख) शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उस पर क्या कार्यवाही की गई है? | उपरोक्तानुसार प्राप्त पत्रों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गयी:-
1- पत्र सं० 14530/ सभा०वि०प० दिनांक: 27.06.2024 के क्रम में महिला आरक्षी 182490167, श्रीमती रोहिणी का मुख्यालय महानिदेशक के आदेश सं०-डीजी-चार-स्था०-646/2024/1997 दिनांक: 27.12.2024 के द्वारा जनपद मथुरा से कमि० कानपुर नगर स्थानान्तरण किया जा चुका है।
2- पत्र सं० 15189/सभा०वि०प० दिनांक: 24.10.2024 के क्रम में महिला आरक्षी 3189 श्रीमती वर्षा शर्मा नियुक्ति जनपद लखनऊ का मा० सभापति के निजी सचिव के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक: 24.10.2024 में स्वयं का प्रार्थनापत्र संलग्न न होने के कारण उक्त महिला आरक्षी का प्रार्थनापत्र मांगा गया है, जो अप्राप्त है। |
| (ग) यदि नहीं, तो शासन की दम्पति स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत प्राप्त पत्रों पर कब तक कार्यवाही करायेंगे? | उपर्युक्तानुसार |

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री